Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फाइल सं.सी/42/2011-एमपीलैड्स

Dated 10.01.2012

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)—कार्यों को सम्पन्न करने/खातों के समाधान के बारे में दिशा-निर्देशों में प्रावधान ।

महोदय/महोदया,

लोक-लेखा समिति की पहली उप-समिति ने 24 अक्टूबर 2011 को आयोजित अपनी बैठक में सुझाव दिया था कि अव्ययित शेष राशि के वितरण के बारे में एमपीलैड योजना संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों को और ज्यादा स्पष्ट किया जाये और अव्ययित शेष राशि के वितरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा तय की जाए । समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि दिशा-निर्देशों में समय-सीमा के साथ एक सहजकारी प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाए । मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि दिशा-निर्देशों में नीचे दिए गए अनुसार पैरा 4.10.1 जोड़ा जाए ।

2. " **कार्यों को सम्पन्न करना/खातों का समाधान करना-** एमपीलैड्स का कार्य राज्य सभा के सांसद द्वारा कार्यभार त्यागने अथवा लोक सभा भंग होने की तारीख से 18 माह के अंदर पूरा कर लिया जाए । जिला प्राधिकारी लम्बित सभी पात्र कार्यों के पूरा हो जाने के बाद अगले 3 माह में संबंधित सांसद के खाते का समाधान करके इसे बंद कर देंगे तथा इसकी सूचना भारत सरकार को देंगे और इस बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में विस्तार से सूचना देंगे । यदि जिला प्राधिकारी सांसद द्वारा कार्यभार त्यागने अथवा लोक सभा भंग होने की तारीख से 18 माह के अंदर परियोजना पूरी नहीं करता है, तो वह राज्य/जिले की निधि से शेष कार्य को पूरा करेगा । किसी भी हालत में परियोजना का कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिला प्राधिकारी इस संबंध में किसी भी प्रकार की चूक के लिए जिम्मेदार होंगे ।"

3. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के. चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
6. एनआईसी: एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।